

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प रावतखेड़ा

प्रकरण संख्या/ 655/21

दिनांक :- 27-10-2021

उनवान

श्री. बाबूलाल पुत्र मोतीलाल
भीगा

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,
पटवारी हल्का रावतखेड़ा भू अ. नि. जहाजपुर एवं नायब तहसीलदार
/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तरनिया खेड़ा प. ह. रावतखेड़ा
की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 30, 39, 76 में
प्रार्थीगण की प्रविष्टि बाबू पुत्र मोतीलाल भीगा

के स्थान पर बाबूलाल पुत्र मोतीलाल
भीगा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

tu
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री. बाबूलाल पुत्र मोतीलाल भीगा
3. रक्षित पत्रावली

tu
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा